राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान

क्रमांकः एफ.18( )श्रम/भनिकम/ जयपुर, दिनांकः

–: अधिसूचना :–

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–22 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) में किये गये प्रावधान तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2009 के नियम–57 एवं 58 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान एतद्द्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ठ मामलों को अभिकथित करने वाली योजना राज्य सरकार की स्वीकृति एवं मण्डल की 30वीं बैठक में लिये गये निर्णय के उपरान्त, निम्नानुसार अधिसूचित करता हैः–

1. संक्षिप्त नाम, उद्देश्य, विस्तार, परिधि और लागू होना –

1.1 यह योजना **'' निर्माण श्रमिको के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुर्नभरण योजना ''** कहलाएगी। इस योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो में नियोजित पंजीकृत हिताधिकारियो द्वारा व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थाओ/बैंक से लिए गए ऋण में ब्याज देयता के बोझ से मुक्त करना है।

1.2 यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22(1)(एच) सपठित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत प्रवर्तित की जाती है।

1.3 यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों पर प्रभावशील होगी जो अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हैं और अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करा रहे हैं।

1.4 यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी।

2. परिभाषाएँ –

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

2.1 ''अधिनियम'' का आशय भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है;

2.2 ''नियम, 2009" का आशय राजस्थान भवन और संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियमन) नियम,2009 से अभिप्रेत है;

2.3 ''मण्डल'' का आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान से अभिप्रेत है;

2.4 ''अध्यक्ष'' का आशय अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत नियुक्त मण्डल अध्यक्ष से अभिप्रेत है;

2.5 ''सचिव'' का आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है;

2.6 ''व्यवसायिक ऋण'' से तात्पर्य ऐसा ऋण जो किसी विधि मान्य व्यवसाय को प्रारम्भ अथवा अभिवृद्धि करने के उद्धेश्य से बैंक अथवा विधि मान्य वित्तीय संस्थान से निर्धारित शर्तों के अधीन हिताधिकारी द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नि/पुत्र/पुत्री के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है।

2.7 ''परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन'' उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित है।

3. योजना में देय हितलाभ –

इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी को व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम 5 लाख रूपये तक स्वीकृत ऋण पर ब्याज का, पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

4. पात्रता एवं शर्तें –

4.1 इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं।

4.2 निर्माण श्रमिको द्वारा व्यावसायिक ऋण के संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों को मण्डल द्वारा वित्तीय संस्थान को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित किया जा सकता है।

4.3 योजना के अन्तर्गत निर्माण श्रमिको के द्वारा स्वयं के व्यवसायिक कार्य जैसे मशीन आदि खरीदने अथवा आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अधिकतम 5 लाख रूपये तक बैंक/वित्तीय संस्थान से लिये गए ऋण की स्वीकृति होना आवश्यक है।

4.4 दुकान/भू–खण्ड/वाहन अथवा घरेलू सामान क्रय करने हेतु लिये गये लिये गए ऋण पर योजना के अन्तर्गत सहायता राशि देय नहीं है।

4.5 5 लाख रूपये तक लिये गये व्यवसायिक ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का पुनर्भरण उसी स्थिति में किया जायेगा, जब हिताधिकारी द्वारा वित्तीय संस्था को प्रतिवर्ष ब्याज चुकाये जाने के आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

4.6 हिताधिकारी के द्वारा ब्याज का भुगतान निर्धारित समय में नहीं करने अथवा वित्तीय संस्था द्वारा दण्ड/जुर्माना लगाये जाने पर जुर्माना राशि का पुनर्भरण मण्डल द्वारा नहीं किया जायेगा।

4.7 एक समय में पंजीकृत हिताधिकारी की पत्नी/पति में से एक के द्वारा ही लिए गए ऋण पर यह योजना प्रभावी होगी।

4.8 हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाओं में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा।

5. आवेदन की समय–सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया व स्वीकृतकर्ता अधिकारी –

5.1 हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मण्डल के ऑनलाईन पोर्टल www.ldms.rajasthan.gov.in पर आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

5.2 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि– अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि के पश्चात बैंक/वित्तिय संस्थान से लिए गए ऋण पर इस योजना के प्रावधान लागू होगे तथा हिताधिकारी द्वारा ब्याज राशि की किश्त चुकाये जाने की तिथि के 6 माह की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5.3 स्वीकृतकर्ता अधिकारी :– स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी परीक्षण एवं पूर्ण संतुष्टि उपरांत स्वीकृति जारी की जायेगी।

5.4 प्रोत्साहन राशि केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अभ्यर्थी के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से हस्तान्तरित की जायेगी।

6. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए व सभी पूर्ति किये हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगाः–

6.1 हिताधिकारी एवं उसके पति/पत्नी के पंजीयन परिचय–पत्र की प्रति।

6.2 वित्तिय संस्थान/बैंक से ऋण स्वीकृति का प्रमाण–पत्र।

6.3 ऋण पर वर्ष में भुगतान किये गए ब्याज राशि का प्रमाण।

6.4 हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा जनआधार कार्ड की प्रति।

6.5 हिताधिकारी के बचत बैंक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएस कोड अंकित हो) की प्रति।

6.6 हिताधिकारी की पत्नी/पति द्वारा इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कि, वर्तमान में अन्य किसी संस्था का कोई ऋण बकाया नहीं है।

7. विसंगति का निराकरण –

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में मण्डल सचिव का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

(प्रतीक झाझड़िया)
श्रम आयुक्त एवं सचिव,
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल

क्रमांकः एफ.18(1)श्रम/भनिकम/2015/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं नियोजन तथा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्री/श्रीमति/सुश्री.....(मण्डल सदस्य)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, ... (समस्त)।
7. श्रम कल्याण अधिकारी, ... (समस्त)।
8. लेखाधिकारी (मण्डल)
9. ACP मुख्यालय को योजना की प्रति व योजना का आवेदन LDMS पर तथा विभाग की वेबसाइट पर डलवाने हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल

निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजनाः इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी को व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम ₹5.00 लाख तक स्वीकृत ऋण पर ब्याज का, पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

Scheme of reimbursing interest on professional loan by construction workers: Under this scheme, interest part on professional loan from financial institutions by eligible beneficiaries to the extent of ₹5.00 lakh would be reimbursed by the Board.

9. निर्माण श्रमिको के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज का पुनर्भरण :-

रोजगार हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम 5 लाख रु. तक स्वीकृत ऋण पर ब्याज का पुनर्भरण |